(41)

संख्या ए–1–27/दस–2010–11(1)/2008

प्रेषक,

वी0एन0 दीक्षित,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 29 जनवरी, 2010

विषयः– उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को कोषागारों/राष्ट्रीकृत बैंक के माध्यम से जीवित प्रमाण–पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ए–1–1995/दस–03–10(23)/95 टी0सी0, दिनांक 21 नवम्बर, 2003 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचार करते हुए पेंशनरों को सुविधा प्रदान करने के उददेश्य से निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :–

(1) जीवित प्रमाण पत्र की रसीद पेंशनर्स को दिए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि जीवित प्रमाण–पत्र के नीचे परफोरेटेड काउण्टर फाइल की व्यवस्था करा दी जाय। यही व्यवस्था ट्रेजरी के साथ–साथ बैंक पर भी लागू होगी ताकि पेंशनर को जीवित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की रसीद दी जा सके।

(2) **(i)** वित्त (लेखा) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या ए–1–1995/दस–2003–10(23)/95, दिनांक 21 नवम्बर, 2003 के प्रस्तर–3 में की गई जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था को आगामी वर्षो में भी सतत रूप से लागू रखा जाय।

(ii) जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को आंशिक रूप से परिवर्तित करते हुए प्रतिवर्ष 01 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक कर दिया जाय।

(iii) यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त अवधि में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी जनवरी/आगामी माह में पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह स्वयं कोषागार में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा।

(iv) जो पेंशनर देश के अन्य प्रदेशों में निवास कर रहे हैं वे उस प्रदेश की उसी बैंक के माध्यम से अपना जीवित प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर उस प्रदेश की उस बैंक शाखा को भिजवा सकते हैं जहाँ से वे पेंशन आहरित करते हैं।

(v) भारत से बाहर निवास करने वाले पेंशनर्स के सम्बन्ध में पूर्व में लागू व्यवस्था यथावत रहेगी।

2— अनुरोध है कि शासन के उक्त निर्णय को सभी सम्बन्धितों की जानकारी में लाकर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(वी0एन0 दीक्षित)
सचिव वित्त।

संख्या ए–1–27(1)/दस–2010–11(1)/2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(3) मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी और बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई।
(4) मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर।
(5) निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ।
(6) निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई।
(8) मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय लखनऊ/नई दिल्ली। (ii)
(9) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।